मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, संसद-सदस्यों और विधायकों की प्रधान मंत्री के साथ भेंट

4432. **श्री राघवजी:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1992 के माह के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, कुछ संसद-सदस्यों और विधायकों के साथ प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्हें राज्य के विकास के संबंध में एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ज्ञापन मे उल्लिखित किसी मांग को पूरा करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित ज्ञापन पर भारत सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा है। संबंधित मंत्रालयों से पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर भेजा जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Utilisation of micro-computers

*4432-A. SHRI RAGHAVJI: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have provided personal computers at District level;

(b) if so, what is the percentage of utilisation of micro-computers at District, State and Central level;

(c) whether there is any proposal to work out a scheme to improve utilisation of these for practice and developmental purposes in the educational institutions; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) Yes Sir.

(b) On an average the prime time utilisation in the States and Districts ranges from 60 to 75 per cent and at the Central level it is about 80%. The utilisation is growing exponentially and prime time saturation of the network is expected to be reached around the end of 1992-93.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

गांवों की दुर्दशा के संबंध में रिपोर्ट

4432-ख. **डा० रत्नाकर पाण्डेय: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने जन सामान्य की कठिनाइयों और गांवों की दुर्दशा के लिए सरकारी तंत्र और कानूनी ढांचे को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) गांव/ब्लाक और जिला स्तर पर एकीकृत विकास के लिए उचित स्वः नियंत्रण संगठनों/वितरण प्रणालियों का अध्ययन और विकास करने के लिए अक्तूबर, 1991 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने दिसम्बर 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

सरकारी मशीनरी और कानूनी संरचना के कार्यकरण के बारे में इस रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां नीचे उद्धृत की जाती हैं:—

"ग्रामीण प्रबन्ध में भी विधान का विकास हुआ है। इस से गांव प्रबंध की प्रक्रिया पर न केवल कानूनी नियंत्रण का प्रसार हुआ है अपितु गांव प्रबंध अन्ततः लगभग पूरी तरह से समाप्त भी हो गया है। कुछ सीमा तक देश के आकार के कारण और कुछ सीमा तक व्यापक रूप से फैले हुए विधान के स्वरूप के कारण नियमों का पूरी तरह से कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। विधानों के अनियंत्रणीय भार के फलस्वरूप कार्यान्वयन में प्रायः स्वेच्छाचारी विवेक से पदाधिकारियों के अधिकारों में वृद्धि हो गई। अतः सम्पूर्ण पद्धति जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय था, न्याय देने में विफल हो गई। स्वयं इस पद्धति से निम्न स्तर पर लोगों की पहल शक्ति और लोगों की शक्ति प्रभावित हुई है। "कानूनी पद्धति के बावजूद सरकारी मशीनरी और अफसरशाही के प्रसार ने भी लोगों की पहलशक्ति को दबा दिया है। ग्राम पंचायत को आज पदाधिकारी समूह का ही एक विस्तार समझा जाता है। न केवल अधिकारों को सीमित किया गया है अपितु ब्लाक स्तर और जिला स्तर के पदाधिकारियों पर निर्भर रहते हुए उन का व्यवहार भी

*Previously unstarred question 3881, transferred from 26th March, 1992.

**पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 4086, 27 मार्च, 1992 से स्थानांतरित।